न्यायालय सहायक कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी :— मनीषा, आर.ए.एस. (प्रशिक्षु)

मुकदमा नं0 :— 13/2017

उनवान

1. गिरराज पुत्र मूलचन्द जाति महाजन निवासी ग्राम भांकरी तहसील व जिला दौसा।

— **(वादी)**

बनाम

1 रामेश्वर पुत्र मूलचन्द गुप्ता जाति महाजन निवासी ग्राम भांकरी तहसील व जिला दौसा।

2 बाबूलाल पुत्र मूलचन्द गुप्ता जाति महाजन निवासी ग्राम भांकरी तहसील व जिला दौसा हाल निवासी रामनगर थाने के सामने, त्रिवेणी नगर, जयपुर।

3 द्वारका प्रसाद पुत्र मूलचन्द गुप्ता जाति महाजन निवासी ग्राम भांकरी तहसील व जिला दौसा हाल निवासी संस्कृत स्कूल रैणी, मु0पो0 रैणी, तहसील राजगढ़ जिला अलवर।

4 जगदीश पुत्र मूलचन्द गुप्ता जाति महाजन निवासी ग्राम भांकरी तहसील व जिला दौसा।

5 अशोक पुत्र मूलचन्द गुप्ता जाति महाजन निवासी ग्राम भांकरी तहसील व जिला दौसा हाल निवासी रोड़वेज डीपो के पीछे, गणेश नगर दौसा, तहसील व जिला दौसा।

6 ओमप्रकाश पुत्र मूलचन्द गुप्ता जाति महाजन निवासी मु0पो0 प्रेमपुरा तहसील व जिला दौसा।

7 देवेन्द्र
8 विनोद
9 विजय
} पि0 रामकिशोर जाति महाजन निवासी ग्राम भांकरी तहसील व जिला दौसा।

10 किरण पुत्री रामकिशोर जाति महाजन निवासी ग्राम भांकरी तहसील व जिला दौसा।

11 राजस्थान सरकार, जरिये लैण्डहोल्डर तहसीलदार तहसील दौसा, जिला दौसा।

12 उपपंजीयक दौसा, तहसील दौसा जिला दौसा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha
Date: 2022.02.22 17:14:00 IST
Reason: SelfAttested

— **(प्रतिवादीगण)**

उपस्थितिः— 1. श्री संजय कुमार शर्मा, अधिवक्ता वादी
2. श्री जी0एम0 गंगावत, अधिवक्ता प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 आरटी एक्ट

निर्णय दिनांक ....

वादी की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वादी व प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 की संयुक्त कब्जे काश्त व पैतृक खातेदारी की अविभाजित आराजी भूमि खाता संख्या 188 खसरा न. 33 रकबा 0.53 व प्रतिवादीगण 1 लगायत 10 की संयुक्त कब्जेकाश्त व पैतृक खातेदारी की अविभाजित आराजी भूमि खाता संख्या 189 खसरा न. 34 रकबा 0.45 ग्राम भांकरी तहसील दौसा में स्थित है। खाता संख्या 189 खसरा न. 34 वादी व प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 के पिता मृतक मूलचन्द व बाबा मृतक रामनिवास द्वारा गंगासहाय पुत्र टुण्डा खाती से हिस्सा 1/2–1/2 में वर्ष 1961 में क्रय की गई थी। बाद में मिन वादी व प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 के पिता मूलचन्द की मृत्यु पश्चात उक्त खाते में उनकी खरीदशुदा 1/2 हिस्से की भूमि का नामान्तरण मिन वादी व प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 के नाम दर्ज रिकॉर्ड हो गयी। तथा वादी के बाबा रामनिवास के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा भूमि का नामान्तरण उनकी मृत्यु पश्चात नियमानुसार उनके तीनो पुत्रों क्रमशः मूलचन्द, कन्हैयालाल, व रामकिशोर के नाम खुलकर खातेदारी उनके नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड हो गई। तत्पश्चात खातेदार कन्हैयालाल की मृत्यु उपरान्त उनके 1/6 हिस्से की भूमि का नामान्तरण उनके पुत्र ओमप्रकाश (प्रतिवाद सं06) के नाम खुलकर खातेदारी दर्ज राजस्व हो गई। लेकिन मृतक रामनिवास के विरासत में मूलचन्द व रामकिशोर को प्राप्त हुई क्रमशः 1/6–1/6 हिस्से की भूमि का नामान्तरण मूलचन्द व रामकिशोर की मृत्यु उपरान्त अभी तक नही खुल पाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha
Date: 2022.02.22 17:14:00 IST
Reason: SelfAttested

वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि–

(क) ग्राम भांकरी तहसील दौसा में स्थित भूमि खसरा नं0 33 रकबा 0.53 है, जिसमें वादी का 1/6 हिस्सा है तथा भूमि खसरा न0 34 रकबा 0.45 जिसमें वादी का 1/9 हिस्सा है। जिसका सरस–नरस अनुसार तकास्मा फरमाकर अलग–अलग खाता एवं लगान कायम किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन फरमाया जावें।

(ख) वादी ने अपने वाद में अनुतोष चाहा है कि जब तक विधिवत व सरस–नरस के आधार पर तकास्मा होकर अलग–अलग खाते कायम एवं अलग–अलग पासबुक जारी नही हो जाती, तब तक प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 वादग्रस्त भूमि का रहन,बय हस्तान्तरण न करे तथा वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी न करे। साथ ही प्रतिवादी संख्या 12 को पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत किसी भी प्रकार के हस्तान्तरण विलेख का पंजीयन न करें।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 की ओर से जी0एम0 गंगावत की ओर से पावर पेश किया गया, तत्पश्चात 7 लगायत 10 की ओर से योगेश जाखड ने पावर पेश किया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 की ओर से जवाब दावा पेश किया गया । जवाबदावा पेश करते हुए निवेदन किया कि वादी मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाने की कृपा करे। तत्पश्चात यह पत्रावली 30.05.2018 को प्रशासन गांव के संग अभियान में आयोजित राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट भांकरी में पेश हुई । उस समय उभयप[illegible] न्यायालय कैम्प कोर्ट में उपस्थित होकर तकास्मा हेतु प्राथमिक [illegible] हेतु निवेदन किया। न्यायालय द्वारा वादी का वाद स्वीकार [illegible] जाकर तहसीलदार दौसा को ग्राम भांकरी में तहसील दौसा में स्थित खसरा नं0 33/0.53, 34/0.45 के कुर्रेजात रिपोर्ट सरस–नरस के आधार पर उभयपक्षों की मौजूदगी में तैयार कर भिजवाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha
Date: 2022.02.22 17:14:00 IST
Reason: SelfAttested

हेतु तहरीर जारी करने के आदेश दिये गये। न्यायालय के पत्रांकः कोर्ट/2018/7624 दिनांक 28.08.2018 के द्वारा तहसीलदार दौसा से कुर्रेजात चाहे जाने पर तहसीलदार दौसा के पत्रांकः एलआर/2019/5645 दिनांक 07.06. 2019 के द्वारा कुर्रेजात इस न्यायालय को प्राप्त होने पर कुर्रेजात रिपोर्ट पत्रावली में शामिल की गई, तत्पश्चात वादी द्वारा आपत्ती पेश की गई दिनांक 06.02.2020 को समस्त वादीगण एव प्रतिवादीगण ने न्यायालय में वादीगण गिर्राज पुत्र मूलचन्द, वादी अभिभाषक तथा समस्त प्रतिवादीगण व प्रतिवादी अभिभाषक की उपस्थिति में राजीनामा पेश किया गया। इस न्यायालय के पत्रांक कोर्ट/2020/172 दिनांक 17.02.2020 के द्वारा उभयपक्षकारों के मुताबिक राजीनामा कुर्रेजात तैयार करने हेतु तहसीलदार दौसा को तहरीर जारी की गई। तहसीलदार दौसा से पत्रांक भू0अ0/2020/8517 दिनांक 23.10.2020 द्वारा कुर्रेजात इस न्यायालय को प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किये गये। पत्रावली कुर्रेजात बहस पर नियत की गई।

वकील वादीगण की कुर्रेजात पर बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन किया गया। वादीगण के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। वादीगण का वाद मुताबिक राजीनामा के वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अतः वादीगण का वाद मुताबिक राजीनामा के स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार दौसा से प्राप्त कुर्रेजात अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्नानुसार अलग–अलग खाते एवं लगान कायम करने के तहसीलदार दौसा को आदेश दिये जाते है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manisha
Date: 2022.02.22 17:14:00 IST
Reason: SelfAttested

नाम खातेदार	खसरा न0	रकबा	किस्म	रंग
अशोक कुमार पुत्र मूलचन्द हिस्सा 1/12 ओमप्रकाश पुत्र कन्हैया लाल हिस्सा 1/6 गिरराज पुत्र मूलचन्द हि0 1/12 जगदीश पुत्र मूलचन्द हि0 1/12 द्वारकाप्रसाद पुत्र मूलचन्द हि0 1/12 बाबूलाल पुत्र मूलचन्द हि0 1/6 रामकिशोर पुत्र रामनिवास हि0 1/6 रामेश्वर पुत्र मूलचन्द हि0 1/12 जाति महाजन सा0 देह खातेदार	34/1	0.05	बा 2	लाल
गिरराज पुत्र मूलचन्द हि0 पूर्ण जाति महाजन सा0 देह	34/2	0.04	बा 2	हरा
रामेश्वर पुत्र मूलचन्द हि0 पूर्ण जाति महाजन सा0 देह	34/3	0.04	बा 2	पीला
अशोक कुमार पुत्र मूलचन्द हि0 1/10 ओमप्रकाश पुत्र कन्हैयालाल हि0 1/5 जगदीश पुत्र मूलचन्द हि0 1/10 द्वारकाप्रसाद पुत्र मूलचन्द हि0 1/10 बाबूलाल पुत्र मूलचन्द हि0 1/10 मूलचन्द पुत्र रामनिवास हि0 1/5 रामकिशोर पुत्र रामनिवास हि0 1/5 जाति महाजन सा0 देह	34	0.32	बा 2	लाल
अशोक कुमार पुत्र मूलचन्द हि0 1/6 गिरराज पुत्र मूलचन्द हि0 1/6 जगदीश पुत्र मूलचन्द हि0 1/6 द्वारकाप्रसाद पुत्र मूलचन्द हि0 1/6 बाबूलाल पुत्र मूलचन्द हि0 1/6 रामेश्वर पुत्र मूलचन्द हि0 1/6 जाति महाजन सा0 देह	33/1	0.17	बा 2	गुलाबी
गिरराज पुत्र मूलचन्द हि0 पूर्ण जाति महाजन सा0 देह	[illegible]	0.06	बा 2	हरा
रामेश्वर पुत्र मूलचन्द हि0 पूर्ण जाति महाजन सा0 देह	[illegible]/5	0.06	बा 2	पीला
अशोक कुमार पुत्र मूलचन्द हि0 1/4 जगदीश पुत्र मूलचन्द हि0 1/4 द्वारकाप्रसाद पुत्र मूलचन्द हि0 1/4 बाबूलाल पुत्र मूलचन्द हि0 1/4 जाति महाजन सा0 देह	[illegible] 33/[illegible]	0.14 0.10 0.24	बा 2 बा 2	लाल लाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha
Date: 2022.02.22 17:14:00 IST
Reason: SelfAttested

अतः कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर वादीगण का वाद डिक्री होने योग्य है। वाद वादीगण तहसीलदार दौसा द्वारा पेश कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शे ट्रेस दिनांक 23.10.2020 के अनुसार राजस्व नक्शा में तितम्बा काटे जाकर मौके पर उसी अनुसार कब्जा दिया जाने के आदेश दिये जाते है तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 जरिये स्थाई निषेधाज्ञ से प्रतिबन्धित किया जाता है कि जब तक आराजी कृषि भूमि खसरा 35 व 34 वाके ग्राम भांकरी तहसील व जिला दौसा का विधिवत व सरस नरस से तकास्मा होकर अलग अलग खात होकर अलग अलग पासबुके जारी नही हो जाती तब तक वादी के को अपने हिस्से की भूमि कब्जा काश्त करने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने व उक्त आराजी भूमि के किसी भी हिस्से को किसी दीगर व्यक्ति को रहन बय व हस्तान्तरण कर उनके किसी विशेष भाग पर स्वयं, परिजन, रिश्तेदार व मददगारान कब्जा करने से बाज रहे। प्रतिवादी संख्या 12 कोम पाबन्द किया जाता है कि वे प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 द्वारा उक्त आराजी भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के हस्तान्तरण विलेख का पंजीयन ना करें तथा प्रतिवादी संख्या 11 को पाबन्द किया जाता है की वे उक्त भूमि की राजस्व रिकार्ड की स्थिति यथावत् बनाये रखे। कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा ट्रेस तैयार दिनांक 23.10.2020 एवं पेश दिनांक 09.11.2020 इस अंतिम डिक्री का अभिन्न अंग समझा जायेगा तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर तफ्तर दाखिल हो। अंतिम निर्णय आज दिनांक 22/01/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मनीषा (R.A.S.)
... कलेक्टर
सहायक कलक्टर दौसा
... (जि. दौसा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manisha
Date: 2022.02.22 17:14:00 IST
Reason: SelfAttested

।।पर्चा डिक्री।।

न्यायालय सहायक कलक्टर दौसा (राज0)

पीठासीन अधिकारी : सुश्री मनीषा (आर0ए0एस0)

राजस्व वाद संख्या : 13/2017

अन्तिम डिक्री दिनांक : 22/01/2021

उनवान

1. गिरराज पुत्र मूलचन्द जाति महाजन निवासी ग्राम भांकरी तहसील व जिला दौसा।

– (वादी)

बनाम

1. रामेश्वर पुत्र मूलचन्द गुप्ता जाति महाजन निवासी ग्राम भांकरी तहसील व जिला दौसा।
2. बाबूलाल पुत्र मूलचन्द गुप्ता जाति महाजन निवासी ग्राम भांकरी तहसील व जिला दौसा हाल निवासी रामनगर थाने के सामने, त्रिवेणी नगर, जयपुर।
3. द्वारका प्रसाद पुत्र मूलचन्द गुप्ता जाति महाजन निवासी ग्राम भांकरी तहसील व जिला दौसा हाल निवासी संस्कृत स्कूल रैणी, मु0पो0 रैणी, तहसील राजगढ़ जिला अलवर।
4. जगदीश पुत्र मूलचन्द गुप्ता जाति महाजन निवासी ग्राम भांकरी तहसील व जिला दौसा।
5. अशोक पुत्र मूलचन्द गुप्ता जाति महाजन निवासी ग्राम भांकरी तहसील व जिला दौसा हाल निवासी रोड़वेज डीपो के पीछे, गणेश नगर दौसा, तहसील व जिला दौसा।
6. ओमप्रकाश पुत्र मूलचन्द गुप्ता जाति महाजन निवासी मु0पो0 प्रेमपुरा तहसील व जिला दौसा।
7. देवेन्द्र
8. विनोद
9. विजय

} पि0 रामकिशोर जाति महाजन निवासी ग्राम भांकरी तहसील व जिला दौसा।

10. किरण पुत्री रामकिशोर जाति महाजन निवासी ग्राम भांकरी तहसील व जिला दौसा।
11. राजस्थान सरकार, जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील दौसा जिला दौसा।
12. उपपंजीयक दौसा, तहसील दौसा जिला दौसा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha
Date: 2022.02.22 17:14:00 IST
Reason: SelfAttested

– (प्रतिवादीगण)

दावा इस्तकार हक व तकसीम आराजी

।।पर्चा डिक्री।। दिनांक

वाद वादीगण तहसीलदार दौसा द्वारा पेश कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा ट्रेस दिनांक दिनांक 23.10.2020 के अनुसार राजस्व नक्शा में तितम्बा काटे जाकर मौके पर उसी अनुसार कब्जा दिया जाने के आदेश दिये जाते है। कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा ट्रेस तैयार दिनांक 23.10.2020 एवं पेश दिनांक 09.11.2020 इस अंतिम डिक्री का अभिन्न अंग समझा जायेगा। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 जरिये स्थाई निषेधाज्ञ से प्रतिबन्धित किया जाता है कि जब तक आराजी कृषि भूमि खसरा 35 व 34 वाके ग्राम भांकरी तहसील व जिला दौसा का विधिवत व सरस नरस से तकास्मा होकर अलग अलग खात होकर अलग अलग पासबुके जारी नही हो जाती तब तक वादी के को अपने हिस्से की भूमि कब्जा काश्त करने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने व उक्त आराजी भूमि के किसी भी हिस्से को किसी दीगर व्यक्ति को रहन बय व हस्तान्तरण कर उनके किसी विशेष भाग पर स्वयं, परिजन, रिश्तेदार व मददगारान कब्जा करने से बाज रहे। प्रतिवादी संख्या 12 कोम पाबन्द किया जाता है कि वे प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 द्वारा उक्त आराजी भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के हस्तान्तरण विलेख का पंजीयन ना करें तथा प्रतिवादी संख्या 11 को पाबन्द किया जाता है की वे उक्त भूमि की राजस्व रिकार्ड की स्थिति यथावत् बनाये रखे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 22/01/21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manisha
Date: 2022.02.22 17:14:00 IST
Reason: SelfAttested